न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2026-69RAABarmer2026-13RTA223 Chhatrapal Vs Lata etc

छत्रपाल पुत्र रामचन्द्र जाति पालीवाल निवासी रीवड़ी, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर ।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. लता पत्नी गणपतलाल
2. नेहा पुत्री गणपतलाल
3. मोनिका पुत्री गणपतलाल
   जातियान पालीवाल निवासीगण रीवड़ी, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर हाल निवासी 243, शिव मन्दिर के पास, रातानाडा, जोधपुर।
4. शाखा भूमि विकास बैंक शाखा जैसलमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 सितंबर 2025
सहायक कलक्टर फतेहगढ राजस्व मूल वाद संख्या 138/2024
लता व अन्य बनाम छत्रपाल इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री के.के. भाटी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन

नि र्ण य

दिनांक : 20 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 138/2024 अनवान लता व अन्य बनाम छत्रपाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 सितंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, व 188 के तहत वादग्रस्त भूमि राजस्व मौजा भींयासर तहसील फतेहगढ के खसरा संख्या 38/649 रकबा रकबा 7.4428 हैक्टेयर के संबंध में बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीनीगण का वाद दर्ज कर प्रतिवादी/अपीलांट को जरिये सम्मन के तलब किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलान्ट) द्वारा जवाबदावा, व प्रतिदावा पेश कर वादीनीगण के वाद का खण्डन किया गया तथा संपूर्ण भूमि का खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 सितंबर 2025 के जरिये वादीनीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद में अपीलांट की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत होने के बाद मामले में तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्षकारान् की साक्ष्य लिये बिना तथा अपीलांट के काउंटर क्लेम का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में न तो कोई कारण दिये गये है, न ही किसी बिन्दू पर कोई निष्कर्ष दिया गया है, केवल आज्ञासूची में चार पंक्ति का निर्णय लिख दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रकिया की कोई पालना नही की है एवं जल्दबाजी में फैसला किया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा वादीनीगण की ओर से प्रस्तुत दावे का विस्तृत जबाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने काउंटर क्लेम को निर्णित ही नही किया गया एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जबकि काउंटर क्लेम को निर्णित किया जाना जरूरी था। मामले में जबाब दावा प्रस्तुत करने के बाद तनकीयात कायम की जाना एवं शहादत दर्ज की जाना जरूरी था, परन्तु इस मामले में न तो कोई बिन्दू कायम किये गये एवं न कोई शहादत दर्ज की गई। यहां तक स्वयं वादीनीगण के भी बयान दर्ज नही किये गये। इस कारण वाद पत्र में लिखी कोई बात पढी ही नही जा सकती एवं न दस्तावेजो को पढा जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से लगता है कि तमाम आज्ञासूचियां पीछे तारीखो में संधारित की गई। वाद सूची में भी पत्रावली का कोई अंकन होना नही पाया जाता। अपीलार्थी द्वारा वाद सूची की नकल मांगने पर बताया गया की न्यायालय में वादसूची बनाई ही नही जाती है एवं न संधारित की जाती है। स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में कोई पारदर्शिता नही थी एवं तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में की गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीनीगण/ रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन ने विचारण न्यायालय पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 23.09.2025 मुकरर्र की गई, परन्तु उक्त तिथि की वादसूची में उक्त पत्रावली का कोई अंकन नही था। अपीलार्थी को तहसीलदार फतेहगढ से दिनांक 20.01.2026 को जारी किया हुआ एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि राजस्व वाद संख्या 138/2024 में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने है, जिस पर अपीलार्थी को हाजिर होना है। इस पर अपीलार्थी दिनांक 22.01.2026 को फतेहगढ़ गया एवं पता करवाया तो मालुम हुआ की दिनांक 23.09.2025 को ही दावे का फैसला कर दिया गया। इस बारे में अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता अथवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किसी ने कोई सूचना नही दी। दिनांक 22.01.2026 को नकल के लिए आवेदन किया गया जो नकल दिनांक 23.01.2026 को मिली. जिसे पढने व पढाने से अपीलार्थी को इसकी प्रथम जानकारी हुई। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 23 सितंबर 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला विधिनुसार अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक से तीन वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से के रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी सहखातेदार की भूमि के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजीयात में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज वर्तमान हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा काउंटर क्लेम में संपूर्ण आराजी की खातेदारी दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है जो कानूनन नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट द्वारा केवल रेस्पो. संख्या एक से तीन को परेशान करने के लिए केवल वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में काउंटर क्लेम पेश किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट्स द्वारा बावजूद जानकारी हस्तगत अपील विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजीयात की अद्यतन जमाबंदी के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 38/648 रकबा 7.4428 हैक्टेयर ग्राम भींयासर तहसील फतेहगढ उभय पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि प्रकट होती है, जिसमें वादीनीगण/रेस्पो. संख्या एक से तीन का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा (प्रत्येक का 1/6 हिस्सा) तथा अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादीनीगण का वाद प्राथमिक तौर पर स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात में पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हक–हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश तहसीलदार फतेहगढ को दिये गये है।

अपीलांट का उज्र है कि संपूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर उसका कब्जा है तथा उक्त आराजी उसके स्वयं द्वारा अपनी निजी आय से खरीद की जाकर अपनी मां के नाम दर्ज करवायी गई है। इस संबंध में दौराने बहस यह तथ्य प्रकट हुआ है कि उभय पक्षकारान् को उक्त आराजीयात विरासतन प्राप्त हुई है। विरासतन प्राप्त भूमि के संबंध में अपीलांट अपने पुश्तैनी हिस्से के अलावा शेष संपूर्ण भूमि पर अपना हक नहीं जता सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र सदभाविक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में गुणावगुण पर किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट काल बाधित एवं एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 138/2024 अनवान लता व अन्य बनाम छत्रपाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 सितंबर 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर